

## प्रेस—नोट

### उ0प्र0पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती—2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोनान्ति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती—2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23.08.2024, 24.08.2024, 25.08.2024, 30.08.2024 एवं 31.08.2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है।

2— अवगत कराना है कि यह परीक्षा पूर्ण में निरस्त कर दी गयी थी। माझ मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित किया गया था कि यह परीक्षा 06 माह के अन्दर चुनित एवं पारदर्शित के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुये पुनः आयोजित करायी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीधा के अन्वर्ग शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित करने की प्रतिबद्धता के कम में यह कार्यक्रम घोषित किया गया है।

3— ध्यन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराये जाने के समन्वय में परीक्षा सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाओं यथा—परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केन्द्रों के ध्यन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, उदागनिस्तरण रोके जाने आदि ऐनु विस्तृत विश्लेषण निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक—19.06.2024 को जारी किए गये हैं। यह परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार की जा रही है।

4— उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुरितकार्डों से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अव्यादेश—2024 (उत्तर प्रदेश अव्यादेश संख्या—८, सन् 2024) दिनांक 01 जुलाई, 2024 को अधिशृंखित किया गया है। इस अधिनियम में प्राक्धान किया गया है कि—

- इस अधिनियम को अन्वर्गित परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिस्तरण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का बहुव्यंत करना आदि कृत्य अपराध की भेंटी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं।
- ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का युमोंग और आजीवन कारावास तक की सजादोनों ही हो सकती है।

5— उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोनान्ति बोर्ड द्वारा "आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती—2023" की लिखित परीक्षा उपरोक्त उल्लिखित विधियों में आयोजित की जायेगी। जन्माष्टमी त्योहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया है। उक्त विधियों को प्रतिदिन 02 पालियों में यह परीक्षा सम्पन्न होगी तथा प्रति पाली में लगभग 5 लाख अव्यक्ति इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

6— उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सहक परिवहन निगम की नियुक्त बस सेवा की सुविधा रहेगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इसका लाग ले सकते हैं, जिसके लिए बस रो यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रदेश पत्र की अतिरिक्त दो प्रतियाँ डाउनलोड करनी होगी तथा उसकी एक प्रति परीक्षा केन्द्र के जनपद तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा उपरान्त अपने जनपद तक छोड़ यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना होगा।